पटना में दिनांक–12 जनवरी, 2016 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	ऊर्जा विभाग		
1.	राज्य के विद्युत वितरण कम्पनियों के Operational एवं Financial Turnaround के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार का ऑफिस मेमोरेण्डम संख्या–06/02/2015-NEF/FRP दिनांक–20.11.2015 द्वारा निर्गत उदय योजना की स्वीकृति एवं दोनों वितरण कम्पनियों यथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी का दिनांक–30.09.2015 तक कुल बकाये ऋण की राशि 3109.05 करोड़ रूपये का 50 प्रतिशत यानि 1554.52 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष 2015–16 में तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में ऋण की राशि का 25 प्रतिशत यानि 777.26 करोड़ रूपये का Non-SLR (Including SDL Bonds) बॉण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्गत करने की स्वीकृति एवं बॉण्ड से प्राप्त राशि दोनों वितरण कम्पनियों को अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग		
2.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा हेतु कुल ₹ 5,00,00,000/–(पांच करोड़ रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।
	विधि विभाग		
3.	14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 38 अतिरिक्त न्यायालय, 147 त्वरित न्यायालय एवं 10 अतिरिक्त अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के लिए अस्थायी वर्ग–III के कुल 780 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
4.	01 अक्टूबर 1953 से लागू बिहार बजट हस्तक को निरसित करते हुए नया बिहार बजट हस्तक (मैनुअल), 2016 को लागू करने की स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।
	अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग		
5.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य अनु० जाति सहकारिता विकास निगम लि०, पटना (अजाविनि) को सहायक अनुदान वेतन इत्यादि हेतु कुल रू० 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र की स्वीकृति का प्रस्ताव।	5.	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

6. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना को वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्थापना व्यय हेतु ₹ 1,25,00,000/–(एक करोड़ पचीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 6. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

7. भारत स्काउट और गाईड बिहार के स्थापना व्यय एवं कार्यक्रम संचालन हेतु गैर योजना मद् से वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 10,00,000/–(दस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

कृषि विभाग

8. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPA No.- 1210/2013 एवं अन्य समविषयक LPA में पारित आदेश के आलोक में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के शिक्षकों/ वैज्ञानिकों की सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष से 65 वर्ष करने के संबंध में निर्गत कृषि विभागीय संकल्प संख्या–3660 दिनांक–13.07.2012 के कंडिका 3 में लगाये गये शर्त्त को संलेख की कंडिका 4 के अनुसार संशोधित करने की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत "बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली, 2015" की स्वीकृति। — 9. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

11. लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ए०आई०बी० पी० योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश मद में 28.70 करोड़ (अठाईस करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

वित्त विभाग

12. दिनांक– 01.04.2007 से दिनांक– 23.09.2009 तक सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को 20 वर्षों की अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

13. गया में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के परिसर के विस्तार के लिये कुल 10.36 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन हेतु मुआवजे की राशि के भुगतान के लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 10,27,00,000/–(दस करोड़ सताईस लाख रूपये) का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम तथा प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

गृह विभाग
(कारा एवं सुधार सेवाएँ)

14.	राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए दी जाने वाली मजदूरी का पुनरीक्षण तथा अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि के पुनरीक्षण के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

15.	लघु जल संसाधन विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर कार्यरत 140 (एक सौ चालीस) कनीय अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक) को अगले एक वर्ष तक के लिये पुनर्नियोजित करने के संबंध में।	15.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

16.	"Chalk N Duster" हिन्दी चलचित्र को मनोरंजन कर से विमुक्त करने के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

17.	राजस्व के अतिरिक्त श्रोत सृजित करने के संबंध में।	17.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

18.	गैर–व्यवसायिक भत्ता (N.P.A) विचारण समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के संबंध में।	18.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

19.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3385/2012 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु खगड़िया जिला में अर्जित भूमि के मुआवजे के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 13,05,91,000/–(तेरह करोड़ पाँच लाख इक्यानवे हजार रूपये) का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम तथा कुल ₹ 13,22,92,511/–(तेरह करोड़ बाईस लाख बानवे हजार पाँच सौ ग्यारह रूपये) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	19.	स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

20.	बिहार उर्दू अकादमी पटना को वित्तीय वर्ष 2015–16 में सहायक अनुदान वेतन हेतु रू० 40,00,000/– (चालीस लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।	20.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

21.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम परिवर्तित कर "कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आटर्स एण्ड साईस" करने की स्वीकृति के संबंध में।	21.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

22.	इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु गैर–योजना से वित्तीय वर्ष 2015–16 में द्वितीय किस्त के रूप में रू० 50,00,00,000/–(रूपये पचास करोड़) मात्र के अनुदान की स्वीकृति।	**22.**	**स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

23.	बिहार सांख्यिकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 की स्वीकृति।	**23.**	**स्वीकृत।**